

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/निप्र/नवाचार/2017-19/145

दिनांक : 13.11.2019

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा ।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान ।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक ।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।

**विषय :-** राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों को बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु सार्थक कार्य योजना बनाकर क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने बाबत ।

**प्रसंग :-** पूर्व प्रेषित निर्देश पत्र क्रमांक : शिविरा/मा/माध्य/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा/2019/25 दिनांक : 24.09.2019 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित प्रासंगिक पत्र द्वारा बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु माह वार पाठ्यक्रम विभाजन, गृह कार्य जांच एवं मासिक परख (Monthly Test) आयोजित करने बाबत निर्देश प्रदान किए गए थे। जैसा कि आपको विदित है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु लागू की गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं एवं उठाए गए सकारात्मक कदमों के प्रतिफल में विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा परिणाम में मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से उत्तरोत्तर सुधार परिलक्षित हुआ है, बावजूद इसके राज्य के बहुत से विद्यालयों में पृथक-पृथक कारणों से विगत वर्ष कक्षा -10 एवं 12 का बोर्ड परीक्षा परिणाम विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों से भी न्यून रहा है, जिनके परीक्षा परिणाम में सुधार हेतु विशिष्ट प्रयास अपेक्षित है ।

1. **निर्धारित मानदण्डों से न्यून परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों हेतु विशिष्ट कार्य योजना :-** वर्ष 2019 की उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्पूर्ण राज्य में 459 विद्यालयों (कला वर्ग-370, वाणिज्य वर्ग-44, विज्ञान वर्ग-45) का परीक्षा परिणाम प्रतिशत निर्धारित मानदण्डों से न्यून रहा है, वहीं माध्यमिक परीक्षा में ऐसे विद्यालयों की कुल संख्या 1240 है । एतदर्थ प्रदेश में 1699 (459+1240) राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर न्यूनतम निर्धारित मानदण्डों से भी न्यून स्तर पर है, अतः सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा उक्त समस्त विद्यालयों हेतु बकाया समयवधि में बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन की विशिष्ट कार्य योजना निर्मित करवाई जाएगी, जिसकी सतत् क्रियान्विति / प्रगति समीक्षा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा एवं जि.शि.अ. (मुख्यालय)-माध्यमिक कार्यालय के शैक्षिक प्रकोष्ठ द्वारा सहायक के रूप में बोर्ड परीक्षा प्रारम्भ होने तक की जानी सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित मानदण्डों से न्यून बोर्ड परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों का जिलेवार विवरण अग्रांकित सारणी के अनुसार है :-

| :: बोर्ड परीक्षा - 2019 में निर्धारित मानदण्डों से न्यून परीक्षा परिणाम वाले राजकीय विद्यालयों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण :: |          |           |   |  |              |              |     |              |
|---|----------|-----------|---|--|--------------|--------------|-----|--------------|
| क्र.सं.   | जिला कोड | जिला      | माध्यमिक परीक्षा में न्यून परिणाम वाले विद्यालयों की संख्या | उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यून परिणाम वाले विद्यालयों की संख्या |              |              |     | कुल विद्यालय |
|   |          |           |   | कला वर्ग   | वाणिज्य वर्ग | विज्ञान वर्ग | कुल |              |
| 1   | 01       | अजमेर     | 33  | 5  | 2            | 2            | 9   | 42           |
| 2   | 02       | अलवर      | 70  | 21   | 1            | 5            | 27  | 97           |
| 3   | 03       | वांसवाड़ा | 50  | 27   | 1            | 0            | 28  | 78           |
| 4   | 29       | बारां     | 23  | 11   | 0            | 1            | 12  | 35           |
| 5   | 04       | बाड़मेर   | 55  | 16   | 0            | 3            | 19  | 74           |

|    |    |                 |             |            |           |           |            |             |
|----|----|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 6  | 05 | भरतपुर          | 53          | 25         | 3         | 6         | 34         | 87          |
| 7  | 06 | भीलवाड़ा        | 49          | 5          | 2         | 0         | 7          | 56          |
| 8  | 07 | बीकानेर         | 33          | 7          | 0         | 2         | 9          | 42          |
| 9  | 08 | बून्दी          | 16          | 0          | 0         | 0         | 0          | 16          |
| 10 | 09 | चित्तौड़गढ़     | 45          | 5          | 3         | 2         | 10         | 55          |
| 11 | 10 | चूरू            | 24          | 4          | 1         | 0         | 5          | 29          |
| 12 | 28 | दौसा            | 18          | 15         | 1         | 2         | 18         | 36          |
| 13 | 27 | धौलपुर          | 33          | 15         | 1         | 0         | 16         | 49          |
| 14 | 11 | डूंगरपुर        | 29          | 24         | 1         | 2         | 27         | 56          |
| 15 | 31 | हनुमानगढ़       | 18          | 7          | 1         | 1         | 9          | 27          |
| 16 | 12 | जयपुर           | 59          | 15         | 7         | 3         | 25         | 84          |
| 17 | 13 | जैसलमेर         | 19          | 8          | 0         | 0         | 8          | 27          |
| 18 | 14 | जालौर           | 39          | 5          | 1         | 2         | 8          | 47          |
| 19 | 16 | झालावाड़        | 23          | 8          | 1         | 0         | 9          | 32          |
| 20 | 15 | झुंझुनू         | 8           | 14         | 0         | 2         | 16         | 24          |
| 21 | 17 | जोधपुर          | 46          | 6          | 2         | 1         | 9          | 55          |
| 22 | 32 | करौली           | 42          | 8          | 1         | 1         | 10         | 52          |
| 23 | 18 | कोटा            | 30          | 12         | 1         | 0         | 13         | 43          |
| 24 | 19 | नागौर           | 45          | 12         | 4         | 5         | 21         | 66          |
| 25 | 20 | पाली            | 47          | 8          | 1         | 0         | 9          | 56          |
| 26 | 33 | प्रतापगढ़       | 40          | 18         | 1         | 1         | 20         | 60          |
| 27 | 30 | राजसमन्द        | 22          | 9          | 0         | 1         | 10         | 32          |
| 28 | 21 | सवाई<br>माधोपुर | 36          | 5          | 4         | 1         | 10         | 46          |
| 29 | 22 | सीकर            | 14          | 10         | 2         | 2         | 14         | 28          |
| 30 | 23 | सिरोही          | 37          | 3          | 0         | 0         | 3          | 40          |
| 31 | 24 | श्रीगंगानगर     | 23          | 5          | 0         | 0         | 5          | 28          |
| 32 | 25 | टोंक            | 30          | 11         | 0         | 0         | 11         | 41          |
| 33 | 26 | उदयपुर          | 131         | 26         | 2         | 0         | 28         | 159         |
|    |    | <b>महायोग</b>   | <b>1240</b> | <b>370</b> | <b>44</b> | <b>45</b> | <b>459</b> | <b>1699</b> |

2. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अपने जिले में उपर्युक्त सारणी में प्रदर्शित न्यून परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों को तत्काल चिन्हित करते हुए आगामी बोर्ड परीक्षा में उक्त विद्यालयों के परीक्षा परिणाम उन्नयन की सुनिश्चिता हेतु निम्नांकित निर्देशों की पालना करते हुए ठोस कार्य योजना निर्मित कर क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी :-

- न्यून परीक्षा परिणाम वाले समस्त विद्यालयों को ब्लॉकवार चिन्हित कर सर्वप्रथम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाकर उक्त समस्त विद्यालयों को समान रूप से विभाजित कर परीक्षा परिणाम सुधार हेतु ब्लॉक कार्यालय में कार्यरत ACBEO तथा उनके अधीनस्थ कार्यरत RP को गोद दिया जाएगा। जिन जिलों में ऐसे विद्यालयों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, वहां DEO(HQ)-SEC. तथा SmSA के जिला कार्यालय में पदस्थापित ADEO / APC & PO तथा संभाग मुख्यालय के जिले से सम्बन्धित विद्यालयों हेतु RANGE JD, SCHOOL EDUCATION कार्यालय में पदस्थापित ADEO / Dy.DEO को

भी आवश्यकतानुसार उक्त कार्य योजना में शामिल कर उन्हें परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना के तहत प्रभारी अधिकारी नामित किया जाकर विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं।

- ii. सम्बन्धित विद्यालय हेतु नामित प्रभारी अधिकारी द्वारा आवंटित विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा प्रारम्भ होने तक विद्यालय परिवीक्षण/अवलोकन/सम्बलन योजना में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा तथा उक्त विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं स्टाफ की तत्काल बैठक आयोजित कर परीक्षा परिणाम उन्नयन की वृहद् कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रभारी अधिकारी द्वारा न्यून परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित कारणों का निदान किया जाकर उपलब्ध स्टाफ को आवश्यकतानुसार सम्बलन प्रदान करते हुए इस वर्ष परीक्षा परिणाम की गुणवत्ता सुधार हेतु टोस कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। उक्त प्रभारी अधिकारियों (OICs) द्वारा प्रभारित विद्यालयों का प्रति सप्ताह निरीक्षण/अवलोकन किया जाकर वांछित सम्बलन प्रदान किया जाएगा तथा उक्त विद्यालयों की कार्य योजना के आधार पर प्रतिदिन प्रगति समीक्षा की जाकर रिपोर्ट सम्बन्धित CBEO को प्रस्तुत की जाएगी। उक्तानुरूप प्रभारी अधिकारी द्वारा परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु उक्त विद्यालयों का अग्रिम रूप से निर्मित कार्य योजनानुरूप सतत् पर्यवेक्षण एवं समुचित प्रबोधन किया जाएगा।
- iii. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत सहायक निदेशक उक्त योजना के प्रभारी अधिकारी होंगे तथा उनके द्वारा उपर्युक्त समस्त विद्यालयों की परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना बाबत पत्रावली संधारित की जाएगी, जिसका अवलोकन एवं प्रगति समीक्षा स्वयं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सतत् रूप से की जाएगी।
- iv. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा संभाग क्षेत्राधिकार के उपर्युक्त चिन्हित विद्यालयों का फील्ड पर्यवेक्षण के दौरान प्राथमिकता से निरीक्षण किया जाएगा तथा परीक्षा परिणाम उन्नयन के सम्बन्ध में जिला कार्यालय द्वारा सम्पादित कार्यवाही एवं प्रयासों की साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। संभागीय संयुक्त निदेशक द्वारा आगामी वर्ष आयोजित बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरान्त क्षेत्राधिकार के समस्त जिला कार्यालयों के अधीन उपर्युक्त चिन्हित समस्त विद्यालयों के परीक्षा परिणाम की समीक्षा एवं तुलना गत वर्ष से करते हुए परिणाम उन्नयन हेतु सम्पादित सार्थक कार्यवाही/किए गए प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय स्टाफ एवं संस्था प्रधान के साथ ही नामित प्रभारी अधिकारी/सम्बन्धित CBEO & CDEO मय ब्लॉक/जिला कार्यालय के भारसाधक अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

3. **पाठ्यक्रम की पूर्णता** :- जैसा कि आप सबको भली प्रकार विदित है कि इस सत्र में बोर्ड परीक्षाएं माह फरवरी - 2020 (उच्च माध्यमिक परीक्षा-20 फरवरी तथा माध्यमिक परीक्षा - 27 फरवरी से) में आयोजित होने जा रही हैं। अतः उपलब्ध सीमित शैक्षणिक दिवसों के मद्देनजर अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व बोर्ड कक्षाओं में समस्त विषयों का पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूर्ण करवाया जाना है। पाठ्यक्रम अपूर्णता की स्थिति में सम्बन्धित विषयाध्यापकों द्वारा विद्यालय समय के उपरान्त अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करवावे। रिक्त पदों के कारण पाठ्यक्रम अपूर्णता की स्थिति होने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित PEEO / CBEO से समुचित समन्वय स्थापित कर समीपवर्ती विद्यालयों में कार्यरत योग्यताधारी शिक्षकों को 15-15 दिन शिक्षण व्यवस्थाएँ लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक : शिविरा/माध्य/सतर्कता/तालाबंदी दिनांक : 28.08.2019 द्वारा समस्त CBEO & CDEO को समुचित निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं।

4. **अधिगम स्तर के अनुरूप कठिनाई निवारण** :- विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक कक्षा में अपेक्षाकृत कठिन विषयों में विद्यार्थियों का अधिगम स्तर के अनुरूप चिन्हीकरण कर अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण की सार्थक व्यवस्था करवाई जानी सुनिश्चित की जाए, जिससे कि विद्यार्थियों की अवबोधन (Understanding) क्षमता का विकास कर उनके अधिगम स्तर (Learning Level) में सुधार लाया जा सके। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट विषय में न्यून अधिगम लब्धि दर्शाए जाने पर अतिरिक्त कक्षा का आयोजन अथवा सुपरवाइज्ड स्टडी (सम्बन्धित विषयाध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सम्मुख बैठाकर व्यक्तिगत अध्यापन) द्वारा न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करवाने की सुनिश्चितता की जाए। इस सम्बन्ध में आगामी 04 जनवरी-20 को PTM आयोजन एवं 14 नवम्बर-19 एवं 12 जनवरी-20 को वृहद् बाल सभा आयोजन के दौरान बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से उनके बच्चे की शैक्षिक स्थिति/लब्धि बाबत विस्तृत विमर्श उपरान्त परीक्षा अवधि में सकारात्मक वातावरण/अभिप्रेरण हेतु संस्था प्रधान/कक्षाध्यापक/विषयाध्यापक द्वारा अभिभावकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना अपेक्षित है। उक्तानुरूप अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था से विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम में निश्चय ही आशातीत गुणात्मक सुधार परिलक्षित होगा।

5. **प्री-बोर्ड परीक्षा का आयोजन :-** बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड पैटर्न के अनुरूप प्रश्न पत्रों के अग्राहक से उनकी शैक्षिक लक्ष्य में सुधार के उद्देश्य से प्रासंगिक निर्देश पत्रानुसार माह-जनवरी, 2020 में तीन प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। उक्तानुरूप तीनों प्री - बोर्ड परीक्षाओं में से प्रथम दो परीक्षाओं का आयोजन यथासम्भव क्रमशः 01 से 10 जनवरी-2020 व 11 से 20 जनवरी-2020 की समयावधि में तथा तीसरी प्री बोर्ड परीक्षा संयोजक, जिला समान परीक्षा योजना द्वारा बोर्ड पैटर्न के अनुरूप उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रश्न पत्रों के माध्यम से करवाया जाना है। ध्यान रहे, विद्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन के मद्देनजर उक्त प्री बोर्ड परीक्षा अधिकतम चार दिवस की समयावधि में ही आयोजित की जानी सुनिश्चित करें।

6. **संस्था प्रधान व विषयाध्यापक की भूमिका :-** परीक्षा परिणाम की गुणात्मकता में पाठ्यक्रम-अध्यापन के प्रभावी एवं सुग्राह्य होने तथा सम्बन्धित विषयाध्यापक की रुचि एवं लगन के साथ-साथ संस्था प्रधान के प्रभावी पर्यवेक्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। परीक्षा परिणाम में संख्यात्मक सुधार की सुनिश्चितता उपरान्त अगला लक्ष्य गुणात्मक सुधार है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में अधिकाधिक अंक (More and More Marks) एवं उत्तम श्रेणी की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करना है। उक्तानुसार तृतीय श्रेणी में संभावित छात्र द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी वाला प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी वाला विशेष योग्यता, विशेष योग्यता वाला 90% तथा विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों का मेरिट की दिशा में कदम (Steps Towards Merit) उठ सके, इस उद्देश्य से वर्ष: 2020 की बोर्ड परीक्षाओं में राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में उत्तरोत्तर सुधार हेतु यह "बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना- 2020" निर्देशित की गई है। यदि विषयाध्यापक तथा संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की पहचान प्रभावी तरीके से की जाकर अतिरिक्त कक्षाओं/रेमेडियल क्लासेज के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही की जाए, तो निश्चित रूप से परीक्षा परिणाम में सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। इस सम्बन्ध में समस्त संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे प्रभावी पर्यवेक्षण के साथ - साथ स्वयं आगे बढ़कर प्रेरणादायक नेतृत्व का परिचय देते हुए विद्यार्थियों के प्रति मार्ग दर्शक की भूमिका का उचित रीति से निर्वहन करेंगे।

7. **निदेशालय स्तर पर पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन :-** उपर्युक्त निर्देशित समस्त कार्यवाही के समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु राज्य स्तर पर उपनिदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा राज्य स्तरीय नॉडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। उक्त क्रम में, विद्यालय स्तर से संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय तक सौंपे गए दायित्वों की मोनिटरिंग हेतु प्रतिमाह अग्रांकित विवरणानुसार अधीनस्थ अधिकारियों की निदेशालय में बैठक आयोजित कर प्रगति समीक्षा करेंगे।

| क्र.सं. | बैठक दिवस                     | संभागियों का विवरण   | विशेष विवरण  |
|---------|-------------------------------|--|--|
| 1       | प्रत्येक माह का प्रथम सोमवार  | उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के संयुक्त निदेशक तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के भारसाधक अधिकारी | बैठक दिवस को राजकीय अवकाश की स्थिति में आगामी            |
| 2       | प्रत्येक माह का प्रथम मंगलवार | जोधपुर, जयपुर, पाली संभाग के संयुक्त निदेशक तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के भारसाधक अधिकारी  | गुरुवार/शुक्रवार को सम्बन्धित संभाग से सम्बन्धित बैठक का |
| 3       | प्रत्येक माह का प्रथम बुधवार  | बीकानेर, चूरु, अजमेर संभाग के संयुक्त निदेशक तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के भारसाधक अधिकारी | आयोजन किया जाएगा।  |

आगामी माह दिसम्बर-2019 में उक्त सम्बन्ध में आयोज्य प्रथम बैठक में सम्बन्धित संभाग/जिले से भाग लेने वाले समस्त भारसाधक (प्रभारी) अधिकारी अपने सम्भाग/जिले की "बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना : 2020" से सम्बन्धित वांछित सूचना अग्रांकित प्रारूप में लेकर उपस्थित होंगे:-

:: **"बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना : 2020" के तहत प्रगति समीक्षा हेतु सूचना - प्रारूप ::**  
संभाग/जिले का नाम :-..... माह :-.....

**प्रपत्र-01 (शैक्षिक उन्नयन हेतु सम्पादित कार्यवाही)**

| क्र० सं० | क्षेत्राधिकार में विद्यालयों की कुल संख्या |          | ऐसे विद्यालयों की संख्या, जिनमें बोर्ड कक्षाओं में पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा चुका है। |          | ऐसे विद्यालयों की संख्या, जिनमें बोर्ड कक्षाओं में पाठ्यक्रम अपूर्ण है। |          | पाठ्यक्रम अपूर्ण रहने का कारण (संक्षिप्त में) | रिक्त पदों की स्थिति में की गई शिक्षण व्यवस्था की संख्या |
|----------|--|----------|---|----------|---|----------|---|--|
|          | उच्च माध्यमिक                              | माध्यमिक | उच्च माध्यमिक   | माध्यमिक | उच्च माध्यमिक   | माध्यमिक |   |  |
| 1        | 2  | 3        | 4   | 5        | 6   | 7        | 8   | 9  |

नोट : बिन्दु सं० 08 व 09 से सम्बन्धित सूचना का विस्तृत विवरण आवश्यकतानुरूप पृथक् से अवलोकन करावें।

प्रपत्र-02 (प्रभारी अधिकारियों द्वारा विद्यालय परीवीक्षण)

| क्र०सं० | न्यून परिणाम वाले विद्यालयों की संख्या |          | शैक्षिक उन्नयन हेतु नागित प्रभारी अधिकारियों की संख्या | नागित प्रभारियों द्वारा गत माह तक अवलोकित विद्यालयों की संख्या | गत माह में अवलोकन से वंचित विद्यालयों की संख्या | वि. वि. |
|---------|--|----------|--|--|---|---------|
|         | उच्च माध्यमिक                          | माध्यमिक |  |  |   |         |
| 1       | 2                                      | 3        | 4  | 5  | 6   | 7       |

प्रपत्र-03 (मासिक परख (Monthly Test) की प्रगति)

| क्र० सं० | क्षेत्राधिकार में विद्यालयों की कुल संख्या | ऐसे विद्यालयों की संख्या, जहां मासिक परख का नियमित आयोजन किया जा रहा है |          | ऐसे विद्यालयों की संख्या, जहां मासिक परख के उपरान्त विद्यार्थियों की शैक्षिक लब्धि से उन्हें अवगत करवाया जा रहा है |          | मासिक परख आयोजित नहीं किए जाने के कारण (संक्षिप्त में) |   |
|----------|--|---|----------|--|----------|--|---|
|          |  | उच्च माध्यमिक   | माध्यमिक | उच्च माध्यमिक  | माध्यमिक |  |   |
| 1        | 2  | 3   | 4        | 5  | 6        | 7  | 8 |

समस्त सम्बन्धितों द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों की पालना सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
10. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
11. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
12. सहायक निदेशक (शाला दर्पण), कार्यालय हाजा को "शाला दर्पण पोर्टल" पर अपलोड करने हेतु।
13. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली।



उप निदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर